( )

प्रेस–विज्ञप्ति

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम–1951 की धारा 77 के अनुसार नामांकन के तारीख से परिणाम घोषित होने तक,दोनो तारीख को सम्मिलित करते हुये निर्वाचन के दौरान प्रत्येक प्रत्याशी स्वंय या उसके निर्वाचन एजेन्ट द्वारा निर्वाचन से सम्बन्धित सभी व्ययों,चाहे वह उसके अथवा निर्वाचन एजेन्ट द्वारा उपगत या प्राधिकृत किये गये हो,का अलग एवं सही लेखा रखा जाना अनिवार्य है। अधिनियम की धारा 78 उपबंधित करती है कि प्रत्येक प्रत्याशी को निर्वाचन के परिणाम घोषित होने की तारीख से 30 दिन के अन्दर जिला निर्वाचन अधिकारी के पास धारा 77 के अर्न्तगत अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करना होता है। इस 30 दिन की अवधि की गणना में परिणाम घोषित करने की तारीख शामिल नहीं है। उपरोक्त प्राविधान के आलोक में व्यय प्रेक्षक महोदय से विचार–विमर्श के उपरान्त 77–लोक सभा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र,वाराणसी के समस्त प्रत्याशियों के दैनिक लेखा निरीक्षण की तिथि निम्नवत निर्धारित की जाती है:–

- प्रथम निरीक्षण की तिथि–**06.05.2019** स्थान–विकास भवन सभागार,वाराणसी।
- द्वितीय निरीक्षण की तिथि–**11.05.2019** स्थान–विकास भवन सभागार,वाराणसी।
- तृतीय निरीक्षण की तिथि–**16.05.2019** स्थान–विकास भवन सभागार,वाराणसी।
- प्रत्येक निरीक्षण का समय–प्रातः **10.00** बजे से सांय **05.00** बजे तक
- लेखा समाधान बैठक एवं प्रत्याशियों,निर्वाचन एजेंन्टों एवं लेखा प्राप्त करने हेतु लगाये गये कार्मिकों के लिये एक दिवसीय फैसिलिटेशन कार्यक्रम के आयोजन की तिथि–**18.06.2019**
- व्यय लेखा जमा किये जाने की अंतिम तिथि–**22.06.2019**